छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

परिशिष्ट – एक

लीज होल्ड भूमि को फ्री–होल्ड अधिकार से संपरिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

आवेदन/ आवेदकों का स्वयं अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार का छायाप्रति

प्रति,

....
(संपरिवर्तन के लिए प्राधिकृत अधिकारी)

मैं/हम, मेरे/हमारे लीज होल्ड अधिकार को नवीनीकरण एवं फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन करना चाहता है, मरे/हमारे ब्यौरे निम्नानुसार है।

1. (क) प्रथम आवेदक (पट्टाधारी) का नाम ....
   (ख) पिता/पति का नाम ....
   (ग) स्थायी पता ....
   (घ) वर्तमान डाक का पता ....
   (च) दूरभाष क्रमांक, यदि कोई हो ....
   (छ) आधार नंबर ....
2. (क) द्वितीय आवेदक (पट्टाधारी) का नाम ....
   (ख) पिता/पति का नाम ....
   (ग) स्थायी पता ....
   (घ) वर्तमान डाक का पता ....
   (च) दूरभाष क्रमांक, यदि कोई हो ....
   (छ) आधार नंबर ....

टिप्पणी :– समस्त पट्टाधारियों के उपरोक्त ब्यौरे प्रस्तुत करे जिसमें समस्त पट्टाधारियों में कोई भी एक संपरिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते की वह आवेदन करने के लिए किसी अन्य को प्राधिकृत करने हेतु वैद्य खास मुख्तारनामा प्रस्तुत करें।

3. पट्टे के ब्यौरे :—

(एक) पट्टाधारी का नाम ....

(दो) योजना / सेक्टर क्रमांक / नाम...

(तीन) भू—खण्ड / भवन क्रमांक और या खसरा नंबर ....

(चार) ग्राम / शहर / नगर ....

(पॉच) भूमि (भू—खण्ड) भवन का क्षेत्रफल..

(छः) तहसील और जिला ....

(सात) वर्तमान वार्षिक भू—भाटक रुपये ....

(आठ) पट्टे का प्रयोजन जैसा कि पट्टा विलेख में दर्शाया गया है

आवासीय	व्यवसायिक

(नौ) पट्टा कालावधि .... से .... तक

(दस) क्या भुगतान, यदि कोई हो, के लिए ब्याज के साथ अद्यतन भू—भाटक संदत्त किया गया है?

हॉ	नही

4. क्या भूमि का वर्तमान उपयोग नही है, जो प्रयोजन पट्टा प्रलेख में उल्लेखित है?

हॉ	नही

5. क्या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित है?

हॉ	नही

6. संलग्नक :—

(क) आधार कॉर्ड की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति

(ख) पट्टा विलेख की प्रति

(ग) स्थल मानचित्र

(घ) भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति

अन्य अभिलेख :—

(1) अन्य पट्टाधारी के विशेष (खास) मुख्तारनामा

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले का ब्यौरा (यदि कोई हो)

(3) ....

मैं लीज नवीनीकरण के साथ फ्री—होल्ड पर संपत्ति संपरिवर्तन हेतु आवेदन कर रहा हूॅ तथा मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

कृपया इस शपथ पत्र को श्रीमान पब्लिक नोटरी के समक्ष रु. 10/– के नानजुडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित किया जावेंगा।

शपथ – पत्र

मैं .... पिता/पति का नाम .... उम्र .... पता/निवासी .... , सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :–

1. यह कि मेरे नाम पर .... (कालोनी का नाम) में स्थित भूमि/भवन क्रमांक .... का पट्टा वैध है।
2. यह कि पट्टे की शर्तो से संबंधित सभी शोध्यों के भुगतान कर दिए गए है।
3. यह कि पट्टे की शर्त भंग नही किया हूँ।
4. यह कि पट्टे की शर्ते संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध नही करती है।
5. यह कि उक्त भूखण्ड/भवन के संबंध में किसी भी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई प्रकरण लंबित नही है।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं .... पिता/पति का नाम .... उम्र .... उपरोक्त शपथकर्ता सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की उपरोक्त कंडिका 1 से 5 बिन्दु में उल्लेखित कथन सत्य व सही है, अतः आज दिनांक .... को स्थान में हस्ताक्षर कर सत्यापित करता हूँ।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर ....

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भवन/भूखण्ड के फ्री–होल्ड अधिकारी के संबंध में

क्रमांक .... दिनांक ....

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित कॉलोनी .... में भवन/भूखण्ड/व्यावसायिक परिसर क्रमांक .... श्री .... को आबंटित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल .... मीटर = ... वर्गमीटर (.................. वर्गफीट) है। उक्त संपत्ति छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के रिकॉर्ड अनुसार वर्ष .... में .... वर्ष को लीज पर दी गई थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक .... वर्ष ....तक है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित बहुमंजिले प्रकोष्ठ भवन .... में फ्लैट क्रमांक .... तल .... पर श्री .... को आबंटित है। फ्लैट का क्षेत्रफल .... वर्गमीटर (...................... वर्गफीट) है। उक्त संपत्ति छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के रिकॉर्ड अनुसार वर्ष .... में .... तक की लीज पर दी गई थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक .... वर्ष .... तक है।

3. आबंटी द्वारा भूखण्ड की लीज रेन्ट की .... तक की देय राशि का भुगतान किया जा चुका है। आबंटी से मण्डल को किसी भी अन्य मद मे कोई राशि वसूल करना शेष नही है। आबंटी द्वारा लीज की मूल शर्तो का उल्लंघन नही किया गया है और न ही भूखण्ड से लगी अतिरिक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है तथा भूमि के मूल उपयोग मे परिवर्तन नही किया है।

आबंटी श्री .... द्वारा उपरोक्त भूखण्ड को निष्पादित नियम के अंतर्गत फ्री–होल्ड अधिकार प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

टीप :– जो लागू न हो उसे कॉट दें।

नोटः– यदि लीज का नवीनीकरण नही हुआ है तो संपत्ति फ्री–होल्ड न की जाए।

(हस्ताक्षर)

कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग/प्रक्षेत्र ....

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र ....

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... पिता/पति .... उम्र .... (कॉलोनी का नाम) में स्थित आवासीय भूखण्ड/भवन क्रमांक .... छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है, उक्त भूखण्ड/भवन को फ्री–होल्ड के लिए निर्धारित प्रारुप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग/प्रक्षेत्र ....

प्रारुप

हस्तांरण विलेख

यह हस्तांतरण विलेख आज दिनांक .... माह .... वर्ष 2012 को रायपुर विकास प्राधिकरण/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (जो लागू न हो उसे काट दें) द्वारा लीज पर प्रदान किए गए भूखण्ड/भवन को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 1975 के नियम 26/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 50 (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्रदत्त शक्तियों तथा शासन के आदेश क्रमांक एफ 1–100/2009/32, दिनांक 30.12.2011 एवं दिनांक 13.03.2012 तथा आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसार फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन हेतु अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी .... के माध्यम से कार्य करते हुए (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत, जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो, उसके पदीय उत्तरवर्ती भी सम्मिलित है) प्रथम पक्ष तथा .... (जिन्हें इसके पश्चात् '' फ्री–होल्डधारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत संदर्भ में वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती, समनुदेशिती, अंतरिती भी सम्मिलित है) द्वितीय पक्ष के बीच किया जाता है ;

चूंकि भूखण्ड/भवन (समाविष्ट क्षेत्र का माप) .... वर्गमीटर स्थित .... तहसील .... जिला .... छत्तीसगढ़, जो इससे संलग्न अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित है, तारीख .... से प्रारंभ होने वाली तारीख .... को समाप्त होने वाली वर्ष की कालावधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा फ्री–होल्ड अधिकार में देने हेतु आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन मंजूर किया गया है ;

और, चूंकि फ्री–होल्डधारी द्वारा डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... बैंक .... द्वारा संपरिवर्तन प्रभार रुपये .... (रुपये .... केवल) का भुगतान कर दिया गया है ;

और, चूंकि फ्री–होल्डधारी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत किए जाने वाले वार्षिक भू–राजस्व का भुगतान करने हेतु सहमत है ;

अतएव यह अभिलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त भूखण्ड/भवन संबंधी पट्टा विलेख, इस हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के पश्चात् प्रभावी नही रहेगा क्योंकि इस हस्तांतरण विलेख के निष्पादन उपरांत ''फ्री–होल्डधारी'' उक्त भूखण्ड/भवन का मालिक व स्वामी होगा तथा फ्री–होल्डधारी द्वारा उक्त भूखण्ड/भवन को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को विक्रय, रहन, दान या अन्यथा अंतरित करने पर प्राधिकृत अधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में रहेगी।

अब फ्री–होल्डधारी को उक्त भूखण्ड/भवन पर न तो प्रतिवर्ष भू–भाटक देय होगा और न ही उसे अपने भूखण्ड/भवन को विक्रय करने के पूर्व हस्तांतरण शुल्क की राशि जमा कर प्राधिकृत अधिकारी से किसी प्रकार की अनापत्ति प्राप्त करने की ही आवश्यकता होगी।

अनुसूची

भूखण्ड/भवन के ब्यौरे ....आवासीय भूखण्ड क्रमांक .... क्षेत्रफल .... ग्राम .... प.ह.न. .... ख.नं. .... का भाग है तहसील व जिला रायपुर में स्थित है।

नक्शा ....   चर्तुसीमा –
स्थान ....
दिनांक ....   उत्तर –
दक्षिण –
पूर्व –
पश्चिम –

साक्षीगण :–

1. ....

2. ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

फ्री–होल्डधारी के हस्ताक्षर